डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
मंत्री

सत्यमेव जयते

कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा
जन अभियोग निराकरण विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांक : मंत्री / कृषि.उ. / ग्रा.वि. / 2026 / R-800
जयपुर, दिनांकः— 22/06/2026

मा0 मुख्यमंत्री जी,
राजस्थान सरकार
जयपुर।

विषय :— पीसीसी चीफ श्री गोविन्द सिंह डोटासरा एवं उनके समधी (ब्याई) रमेश चन्द पूनिया द्वारा OBC के फर्जी प्रमाण—पत्र बनवाकर अपने सगे संबंधियों को RAS में चयन कराने के संबंध में FIR दर्ज कराये जाने बाबत्।

सर्वविदित है कि श्री गोविन्द सिंह डोटासरा कई वर्षों से पीसीसी के चीफ है तथा राज्य में शिक्षा मंत्री रहे है। ये आमतौर पर अपने प्रभाव का दुरूपयोग, धौंस बताकर गलत कार्य करवाने के आदि है। इसी क्रम में इन्होंने अपने पुत्र अविनाश सिंह डोटासरा का RAS में चयन करवाया, जिसके पुख्ता प्रमाण मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दे चुका हूँ। आवश्यकता पडने पर या जब कोई जांच एजेन्सी चाहेगी, तब भी में प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा।

RAS परीक्षा 2016 में गोविन्द सिंह डोटासरा के पुत्र को मुख्य परीक्षा में 343 अंक प्राप्त हुए तथा साक्षात्कार में 85 अंक दिये गये, जिसके कारण 428 अंक प्राप्त कर इनका चयन Accounts Service में हो गया। वहीं दूसरी ओर RAS भर्ती परीक्षा 2016 की मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक 425 अंक अर्जित करने वाली गरिमा जिंदल को साक्षात्कार में मात्र 25 अंक दिये गये, जबकि गोविन्द सिंह डोटासरा के प्रभाव के कारण अविनाश को साक्षात्कार

में 85 अंक दिये गये। इस कारण गरिमा Proper RAS में चयनित नहीं हो पाई। **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने बेटे का OBC प्रमाण पत्र फर्जी एवं मित्थ्या दस्तावेज मय शपथ पत्र के आधार पर बनवा लिया तथा इन फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अविनाश सिंह डोटासरा RAS परीक्षा 2016 में चयनित हो गया।**

यह चिन्ता का विषय है कि असरदार एवं प्रभावशाली लोग फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चयनित हो जाते है, जिससे आम गरीब OBC का युवा पिछड जाता है, जिससे उनका चयन नहीं हो पाता। एक तरह से गोविन्द सिंह डोटासरा जैसे प्रभावशाली व्यक्ति गरीबों के हक पर डाका डाल रहे है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि –

1. चुरू जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री रमेश चन्द्र पूनिया की पुत्री श्रीमती प्रतिभा पूनिया राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द डोटासरा की पुत्रवधु है तथा श्री गौरव पूनिया व प्रभा पूनिया श्री रमेश चन्द्र पूनिया के अन्य पुत्र एवं पुत्री है।
2. श्री रमेश चन्द्र पूनिया की जन्मतिथि 05.09.1961 है तथा दिनांक 08.12.1993 को श्री रमेश चन्द्र पूनिया प्रधानाध्यापक बन चुके थे एवं उक्त Promotion 32 वर्ष 3 माह 3 दिन की उम्र में मिल चुका था इसलिए इनकी संतान ओबीसी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आएगी इस कारण इनको ओबीसी कोटे का लाभ नहीं मिल सकता।
3. राजस्थान सरकार ने दिनांक 02.05.2019 को सर्कुलर जारी कर, सचिव, आरपीएससी को पत्र लिखा था कि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु से पूर्व यदि राज्य सेवा का प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा (Lecturer) पद प्राप्त कर लेता है तो वह ओबीसी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आएगा। श्री रमेश पूनिया ने 40 वर्ष की आयु से पूर्व राज्य सेवा का प्रधानाध्यापक (Headmaster) का पद प्राप्त कर लिया था, जो कि प्राध्यापक के पद

से बड़ा पद होता है अतः सर्कुलर के अनुसार वह ओबीसी क्रीमिलेयर में आते है। Circular की Copy अवलोकनार्थ संलग्न है।

4. श्री रमेश चन्द्र पूनिया ने अपनी तीनों संतानों का ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी एवं मिथ्या दस्तावेज मय फर्जी शपथ पत्र के आधार पर बनवा लिया तथा उक्त फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एक पुत्री प्रतिभा RAS परीक्षा 2016 में चयनित हुई जिसके RAS परीक्षा के रोल नम्बर 203607 एवं जन्म दिनांक 16.07.1990 है। जो वर्तमान में अतिरिक्त चीफ एक्सीक्यूटिव ऑफिसर, आमेर डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑथोरिटी, जयपुर के पद पर कार्यरत है।

5. RAS परीक्षा 2018 में, श्री रमेश चन्द्र पूनिया के पुत्र श्री गौरव पूनिया का मैरिट क्रमांक 167 पर चयन हुआ है जिसके रोल नम्बर 805317 हैं एवं जन्म दिनांक 04.10.1994 है। इसके अलावा एक अन्य पुत्री प्रभा पूनिया का मैरिट क्रमांक 316 पर चयन हुआ है जिसके रोल नम्बर 810434 हैं एवं जन्म दिनांक 05.01.1989 है।

6. रोचक बात यह है कि पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा एवं रामूराम रायका ने पुलिस के सामने दिए गए बयानों में यह स्वीकार किया है कि गोविन्द सिंह डोटासरा ने इन बच्चों के साक्षात्कार में अच्छे नंबर लेने के लिए बाबूलाल कटारा सहित अन्य सदस्यों पर दबाव डालकर अनुचित तरीके अपनाए थे।

7. गोविन्द सिंह डोटासरा एवं उनके संबंधी श्री रमेश चन्द पूनिया, अविनाश सिंह डोटासरा, श्रीमती प्रतिभा पूनिया, श्री गौरव पूनिया एवं प्रभा पूनिया के कूटरचित एवं मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर फर्जी प्रमाण–पत्र बनवाकर, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) अजमेर के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलिभगत कर उन्हें RPSC में पेश किया और RAS बनकर सरकार से अवैध वेतन प्राप्त कर रहे है। उक्त

(5)

अपराध लगातार जारी है, जिस पर बी.एन.एस. के तहत संज्ञेय अपराध दर्ज होना नितांत आवश्यक है।

अतः बी.एन.एस. की धारा 318(4), 316(4), 316(5), 338, 336(3), 340(2), 198, 201 एवं 61(2) के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराये जाने हेतु RPSC या अन्य संबंधित Agency को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्न– 1. OBC क्रीमिलेयर होते हुए भी OBC नॉन क्रीमिलेयर बताकर आवेदन किया गया है, जिसके प्रमाण मार्कशीट संलग्न है (4)

2. राजस्थान सरकार का सर्कुलर (Circular) कमांक 7(8)कार्मिक/क–2/2008 दिनांक 02.05.2019

22/6

(डा. किरोड़ी लाल)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Marks for RAS Comb. Comp. Exam (Final) - 2016

Candidate Result Details		
Roll Number	212734	
Name	AVINASH	
Father's Name	GOVIND SINGH	
Date Of Birth	06/06/1991	
Category	BC	
TSP	-	
Sahariya	-	
Details	Attendance	Marks
PAPER - I GENERAL STUDIES-I	P	81
PAPER - II GENERAL STUDIES-II	P	76
PAPER - III GENERAL STUDIES-III	P	79
PAPER - IV GENERAL HINDI AND GENERAL ENGLISH	P	107
MAIN TOTAL		343
INTERVIEW	P	85
GRAND TOTAL		428
PROVISIONAL		
REMARKS	QUALIFIED	

6

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Marks for RAS Comb. Comp. Exam (Final) - 2016

Candidate Result Details		
Roll Number	203607	
Name	PRATIBHA	
Father's Name	RAMESH CHANDRA POONIA	
Date Of Birth	16/07/1990	
Category	BC,WE	
TSP	-	
Sahariya	-	
Details	Attendance	Marks
PAPER - I GENERAL STUDIES-I	P	92
PAPER - II GENERAL STUDIES-II	P	96
PAPER - III GENERAL STUDIES-III	P	102
PAPER - IV GENERAL HINDI AND GENERAL ENGLISH	P	112
MAIN TOTAL		402
INTERVIEW	P	80
GRAND TOTAL		482
PROVISIONAL	P	
REMARKS	QUALIFIED	

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Final Result Marks (After Interview) of Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. Exam - 2018 (NTSP/TSP)

Candidate Result Details		
Roll Number	805317	
Name	GOURAV POONIA	
Father's Name	RAMESH CHANDRA POONIA	
Date Of Birth	04/10/1994	
Category	BC	
TSP		
Sahariya		
Details	Attendance	Marks
PAPER - I GENERAL STUDIES-I	P	97.50
PAPER - II GENERAL STUDIES-II	P	82.50
PAPER - III GENERAL STUDIES-III	P	100.00
PAPER - IV GENERAL HINDI AND GENERAL ENGLISH	P	99.50
MAIN TOTAL		379.50
INTERVIEW	P	80
GRAND TOTAL		459.50
PROVISIONAL		
REMARKS	COMBINED MERIT (NON-TSP) 167	

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

Final Result Marks (After Interview) of Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. Exam - 2018 (NTSP/TSP)

Candidate Result Details		
Roll Number	810434	
Name	PRABHA	
Father's Name	RAMESH CHANDRA POONIA	
Date Of Birth	05/01/1989	
Category	BC,WE	
TSP		
Sahariya		
Details	Attendance	Marks
PAPER - I GENERAL STUDIES-I	P	82.00
PAPER - II GENERAL STUDIES II	P	96.75
PAPER - III GENERAL STUDIES-III	P	88.25
PAPER - IV GENERAL HINDI AND GENERAL ENGLISH	P	99.50
MAIN TOTAL		366.50
INTERVIEW	P	80
GRAND TOTAL		446.50
PROVISIONAL		
REMARKS	COMBINED MERIT (NON-TSP) 316	

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

क्रमांक:- 7(8)कार्मिक/क-2/2008   जयपुर, दिनांक 2 MAY 2019

विषय:- अधिसूचना क्रमांक एफ 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 17(2)नियम/93-94/पार्ट 1/02 दिनांक 03.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि अधिसूचना दिनांक 25.08.2009 के क्रम में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। अतः पत्र में सन्दर्भित बिन्दुओं के क्रम में इस विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:-

1. उक्त अधिसूचना के तहत राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में वर्ग-I का तात्पर्य राज्य सेवाओं तथा वर्ग-II का तात्पर्य अधीनस्थ सेवाओं से लिया जावे। राज्य में सभी विभागों में राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं से सम्बन्धित नियम बने हुए है जिनमें पद विशेष के राज्य या अधीनस्थ सेवा में होने का स्पष्ट उल्लेख हैं।
2. क्रीमीलेयर के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी के माता-पिता के राजकीय सेवा में होने पर ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स के स्थान पर केवल पद की श्रेणी अर्थात राज्य/अधीनस्थ या अन्य सेवा आदि को ही देखा जाना हैं।
3. प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा (Lecturer) का पद राज्य सेवा का है और एक अभ्यर्थी 40 वर्ष या उससे कम की आयु में उक्त पद पर भर्ती होता है तो वह क्रीमीलेयर की श्रेणी में आयेगा। इसके अलावा कोई अभ्यर्थी वर्ग-II अर्थात अधीनस्थ सेवा में रहते हुए 40 वर्ष या उससे कम की आयु में वर्ग-I अर्थात राज्य सेवा का अधिकारी बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वह क्रीमीलेयर की श्रेणी में आयेगा।

भवदीय,

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-
1. समस्त कलक्टर्स (समस्त संभागीय आयुक्त सहित), राजस्थान।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

उप शासन सचिव